भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 149

21.07.2025 को उत्तर के लिए

मैंग्रोव संरक्षण

149. श्रीमती अपराजिता सारंगी :
श्री बिभु प्रसाद तराई :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल मैंग्रोव-आच्छादित क्षेत्र का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान मैंग्रोव आच्छादित-क्षेत्र में कुल वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और
(ग) मैंग्रोव संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख प्रोत्साहन पहलों/उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) 2023 के अनुसार, देश में कुल मैंग्रोव आवरण 4,991.68 वर्ग किमी है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2023 की तुलना में, देश के मैंग्रोव आवरण में 16.68 वर्ग किमी की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आईएसएफआर 2019 और आईएसएफआर 2023 के अनुसार मैंग्रोव आवरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुलग्नक 1** में दिया गया है।

(ग) बजट घोषणा 2023-24 के भाग के रूप में, मैंग्रोव को विशिष्ट, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहाल करने और बढ़ावा देने तथा तटीय आवासों की स्थिरता को संरक्षित करने और संवर्धित करने के लिए 5 जून 2023 को तटीय पर्यावास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्टी) शुरू की गई है। मिष्टी का उद्देश्य भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में मैंग्रोव पुनर्वनीकरण/वनीकरण उपायों के माध्यम से मैंग्रोव वनों को पुनर्स्थापित करना है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना, 2019 (सीआरजेड), मैंग्रोव को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) के रूप में वर्गीकृत करती है, जिससे इन क्षेत्रों में केवल अत्यधिक सीमित गतिविधियों की अनुमति मिलती है। इसके अतिरिक्त, यदि मैंग्रोव क्षेत्र 1,000 वर्ग मीटर से अधिक है, तो मैंग्रोव के साथ 50 मीटर के बफर ज़ोन का प्रावधान भी सीआरज़ेड-आईए के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ऐसे मामलों में, यदि विकास प्रक्रिया के दौरान किसी मैंग्रोव के प्रभावित होने की संभावना है, तो

सीआरज़ेड-2019 विनियमन के प्रावधानों के अनुसार, नष्ट हुए मैंग्रोव की संख्या के तीन गुना अधिक पौधों को पुनः रोपित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, मैंग्रोव क्षेत्रों और मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों को वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और राज्य-विशिष्ट कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी संरक्षित किया गया है।

*****

अनुलग्नक 1

देश में मैंग्रोव आवरण का राज्यवार और वर्षवार विवरण

(वर्ग किमी में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र**	**आईएसएफ़आर 2019 के अनुसार मैंग्रोव कवर**	**आईएसएफ़आर 2023 के अनुसार मैंग्रोव कवर**
1	आंध्र प्रदेश	404.00	421.43
2	गोवा	26.00	31.34
3	गुजरात	1177.00	1164.06
4	कर्नाटक	10.00	14.20
5	केरल	9.00	9.45
6	महाराष्ट्र	320.00	315.09
7	ओडिशा	251.00	259.06
8	तमिलनाडु	45.00	41.91
9	पश्चिम बंगाल	2,112.00	2119.16
10	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	616.00	608.29
11	दमन और दीव	3.00	3.86
12	पुडुचेरी	2.00	3.83
	कुल	**4,975.00**	**4991.68**

*****